न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भिवाड़ी (खैरथल–तिजारा)

(पीठाशीन अधिकारी श्रीमती सुमित्रा मिश्र आर.ए.एस. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भिवाड़ी)

अपील संख्या	किस्म मुकदमा	प्रवेश दिनांक	निर्णय दिनांक
11/20/23	अपील नामा0	04.12.2023	22.12.2025

उनवान प्रकरण :–

1– हमीदी पत्नी श्री शेरखों जाति मेव निवासी ग्राम गुवालदा तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

2– साहब खाँ पुत्र श्री चन्द्रा जाति मेव निबासी ग्राम सुरजन नंगला तहसील पलवल जिला फरीदाबाद (हरियाणा)

3–7 युनुस पुत्र स्व० श्रीमती मौजबी व स्व० श्री कल्लु जाति मेव निवासी ग्राम गुवालदा तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा (राज०)

:–अपीलान्टान

बनाम

1– राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा (राज०)
2– पटवारी हल्का ग्राम पंचायत गुवालदा तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा (राज०)
3– कानूनगो, तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा (राज०)
4– अयुब
5– असरूदीन
8– जुहरदीन
7– रमजान
8– सरपू पुत्रान स्व० श्री ईराब
9– असरी
10– फजरी
11– बतुली पुत्रान स्व० श्री ईसब जाति मेव निवासीगण ग्राम गुवालदा टपूकडा जिला खैस्थल–तिजारा (राज०)

:– असल रेस्पोडेन्टान

12– ईस्माईल
13– अब्दुल रसीद
14– शरीफ पुत्रान स्व० श्रीमती मौजबी व स्व० श्री कल्लु
15– रसीदन
16– सरीफन
17– उस्मानी
18– अफसरी पुत्रीयान स्व० श्री मौजबी व स्व० श्री कल्लु जाति मेव निवासीगण ग्राम गुवालदा तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा (राज०)

:–– तरतीबी रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध निर्णय दर्ज व स्वीकार इन्तकाल सं. 1972 को दिनांक 15.06.2018 को अपास्त कर अन्तर्गत धारा 135(2) भू०. राजस्व अधिनियम के तहत सुनवाई प्रकिया में रखकर, दिनांक 27.09.2023 को 135(2) भू०. राजस्व अधिनियम की प्रकिया कार्यवाही ड्रोप कर मृतक ईसब के वारिसान असल रेस्पोडेन्टान सं.4 लगायत 11 के नाम का बेजा तौर से गलत अमल कर दिया, बमुराद मन्सूख किये जाने उक्त आदेश व स्वीकार किये जाने अपील अपीलान्टान ।

उपस्थित :

1. **श्री इस्लामुदीन एडवोकेट** **:– वकील अपीलान्टान**
2. **श्री कुलदीप आहुजा एडवोकेट** **:–वकील रेस्पोडेन्टान**

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गयां। पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विद्वान अधिकवक्ता अपीलान्टान द्वारा अपील प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके अनुसार इन्तकाल सं. 1972 वाके ग्राम गुवालदा तहसील टपूकडा का रेस्पोडेन्ट के निर्णय के विरूद्ध पेश की

जा रही है। जिसका अदालत श्रीमान को क्षेत्राधिकार निहित है। प्रकरण के वास्तविक तथ्य इस प्रकार से है कि इन्तकाल सं. 1972 में वर्णित हाल आराजी खसरा नं. 2122 रकबा 1.0100 हैक्टेयर वाके ग्राम गुवालदा तहसील टपूकडा, जो कि ईसब पुत्र निवाज खां जाति मेव की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी। जिस आराजी को हम अपीलान्टान सं. 1 व 2 तथा अपीलान्ट सं. 3 तथा तरतीबी रेस्पोडेन्टान सं. 12 लगायत 18 की माता मौजबी पत्नी श्री कल्लु ने समभाग बराबर बराबर जरिये रजि, बयनामा काब्जा, बाप्रतिफल अदाकर खरीद की थी। अपीलान्टान सं. 1 व 2 तथा अपीलान्ट सं. 3 तथा तरतीबी रेस्पोडेन्टान सं. 12 लगायत 18 की माता मौजबी पत्नी श्री कल्लु खरीददार के नाम मुताबिक बयनामा विधि सम्मत तरीके से इन्तकाल सं. 1972 असल रेस्पोडेन्टान सं. 1 लगायत 3 तहसीलदार, हल्का पटवारी व कानूनगो दर्ज तथा स्वीकार कर वर्णित आराजी की जमाबन्दी में अमल दरामद कर दिया। वक्त खरीद से ही अपीलान्टान सं. 1 व 2 तथा अपीलान्ट सं. 3 तथा तरतीबी रेस्पोडेन्टान सं. 12 लगायत 18 की माता मौजबी पत्नी श्री कल्लु आराजी पर अपने 1/3, 1/3, 1/3 भाग की भूमि पर काबिज व दाखिल होकर काश्त करते रहे है। इसके बाद बेचानकर्ता ईसब का देहान्त हो गया और उसके पुत्र असल रेस्पोडेन्ट सं. 6 जुहरदीन ने सारे तथ्यो की जानकारी होते हुए बेईमानीपूर्वक आशय से वर्णित आराजी के इन्तकाल सं. 1972 की बाबत एक रिव्यु प्रार्थना पत्र असल रेस्पोडेन्ट सं. 1 तहसीलदार के समक्ष पेश कर दिया। जिस पर ततकालीन नायब तहसीलदार, टपूकडा द्वारा इन्तकाल सं. 1972 की पुस्त पर दिनांक 15.06.2018 को यह अंकन किया कि उनवान प्रकरण सरफू वगैहरा पुत्रान ईसब जाति मेव निवासी गुवालदा बनाम सरकार में रिव्यु प्रा० पत्र. के निर्णय दिनांक 15.06.2018 के नामांतकरण सं. 1972 अपास्त किया जाता है एवं नामा. अन्तर्गत धारा 135 (2) भू–राजस्व अधिनियम के तहत सुनवाई प्रकिया में रखा जाता है" के अनुसार इन्तकाल सं. 1972 को अपास्त कर दिया गया। अन्तर्गत धारा 135 (2) भूराजस्व अधिनियम के अनुसार इन्तकाल सं. 1972 का निर्णय होना था। दिनांक 27.09.2023 को असल रेस्पोडेन्ट सं. 1 तहसीलदार के द्वारा अन्तर्गत धारा 135 (2) भूराजस्व अधिनियम की विचाराधीन कार्यवाही में निर्णय पारित करते हुये अन्तर्गत धारा 135 (2) भू राजस्व अधिनियम की प्रक्रिया कार्यवाही को ड्रोप कर दिया। अन्तर्गत धारा 135 (2) भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही ड्रोप करने के बाद इन्तकाल सं. 1972 स्वतः ही हम अपीलान्टान सं. 2 व 3 तथा मौजबी पत्नी कल्लु के नाम का अमल आना चाहिये था परन्तु असल रेस्पोडेन्टान सं. 1 लगायत 3 ने ईसब के वारिसान असल रेस्पोडेन्टान सं 4 लगायत 11 से साज बाज होकर मृतक ईसब का विरासत इन्तकाल से 4139 को दिनांक 17.11.2023 को दर्ज कर इन्तकाल स. 4139 को प्रक्रियाधीन रख दिया। जिसकी बाबत ना तो असल रेस्पोडेन्टान सं. 1 लगायत 3 ने ना तो हम अपीलान्टान को कोई सूचना दी और ना ही पैरवी करने का अवसर दिया, ना ही गांव में कोई इश्तहार लगाये व ना ही कोई नोटिस जारी किये। असल रेस्पोडेन्टान सं. 1 लगायत 3 ने विधि विरूद्ध तरीके से मृतक ईसब का विरासत इन्तकाल सं. 4139 को दिनांक 17.11.2023 को दर्ज कर इन्तकाल सं. 4139 को प्रक्रियाधीन रखा है। जो हम अपीलान्टान व तरतीबी रेस्पोडेन्टान के हितो पर कुठाराघात होता है, जो हरसूरत में निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि मौजबी का देहान्त हो चुका हैं। मिन अपीलान्ट सं. 3 व तरतीबी रेस्पोडेन्टान सं. 12 लगायत 18 जो कि मृतक मौजबी के वारिसान है व अपीलान्टान स. 1 व 2 के साथ अपनी माता से विरासत से मिली आराजी पर काबिज व दाखिल होकर काश्त करते आ रहे हैं। हम वादीगण व तरतीबी रेस्पोडेन्टान इन्तकाल सं. 1972 में वर्णित आराजी पर बिना किसी रोक टोक से शान्तिपूर्वक काबिज व दाखिल चले आ रहे है। हम अपीलान्टान को पूर्व में गलत अमल की कोई जानकारी नहीं रही है। हम अपीलान्टान को वर्णित आराजी की जमाबन्दी की आवश्यकता हुई तो हम अपीलान्टान हल्का पटवारी के पास जाकर वर्णित आराजी की जमाबन्दी का अवलोकन किया तो उसमें मृतक ईसब के वारिसान के नाम इन्तकाल सं 4139 दर्ज कर प्रक्रियाधीन का अंकन होना पाया। जिस पर हम अपीलान्टान ने सम्बन्धित आराजी की बाबत नकुलात दिनांक 01.12.2023 को प्राप्त कर कानूनी राय मशवरा किया तो समस्त तथ्यो की जानकारी सामने आई। जिससे अविलम्ब ही अपील पेश की जा रही है। दफा 5 मियाद अधिनियम मी प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। इन्तकाल से 1972 में वर्णित आराजी में हम अपीलान्टान कें हक हकूक निहित है तथा हम अपीलान्टान आराजी पर काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करते आ रहे है। इसलिए हम अपीलान्टान को अपने हकूको की रक्षार्थ यह अपील हाजा पेश करना

आवश्यक हुआ है। मिन अपीलान्ट सं. 3 के समान हित निहित है। इसलिए उन्हें तरतीबी रेस्पोडेन्टान सं. 12 लगायत 18 की जद में पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। अतः अपील अपीलान्टान पेश कर निवेदन है कि हम अपीलान्टान की अपील स्वीकार फरमाई जाकर इन्तकाल सं. 1972 वाके ग्राम गुवालदा तहसील टपूकडा को बहाल कर, वर्णित आराजी में पूर्व की भांति हम अपीलान्टान सं. 1 व 2 तथा मिन अपीलान्ट सं. 3 व तरतीबी रेस्पोडेन्टान की माता मौजबी पत्नी श्री कल्लु के नाम का अमल दरामद कराने के आदेश फरमाये जावे। आपकी अति कृपा होगी।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहत न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब कर संलग्न पत्रावली किया गया।

अपीलान्ट द्वारा साक्ष्य दस्तावेजी में नियम 33 के तहत प्रमाणित प्रति नामान्तकरण वाके ग्राम गुवाल्दा सं. 1972 दिनांक 17.05.2025 प्रदर्श–1, प्रमाणित प्रति न्यायालय तहसीलदार प्रकरण सं. 43/22 जुहरूदीन बनाम राज्य सरकार प्रदर्श–2, हाल जमाबंदी सत्य प्रतिलिपि वाके ग्राम गुवाल्दा सम्वत 2075–2078 प्रदर्श–3 जमाबंदी वाके ग्राम गुवाल्दा सम्वत् 2071 प्रदर्श–4 संलग्न किया गया है।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण के संक्षेप तथ्य इस प्रकार से है कि इन्तकाल सं. 1972 मे वर्णित हाल आराजी खसरा नं. 2122 रकबा 1.0100 हैक्टेयर वाके ग्राम गुवालदा तहसील टपूकडा, जो कि ईसब पुत्र निवाज खां जाति मेव की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी। जिस आराजी को हम अपीलान्टान सं. 1 व 2 तथा अपीलान्ट सं. 3 तथा तरतीबी रेस्पोडेन्टान सं. 12 लगायत 18 की माता मौजबी पत्नी श्री कल्लु ने समभाग बराबर बराबर जरिये रजि. बयनामा काब्जा, बाप्रतिफल अदाकर खरीद की थी। अपीलान्टान सं. 1 व 2 तथा अपीलान्ट सं. 3 तथा तरतीबी रेस्पोडेन्टान सं. 12 लगायत 18 की माता मौजबी पत्नी श्री कल्लु खरीददार के नाम मुताबिक बयनामा विधि सम्मत तरीके से इन्तकाल सं. 1972 असल रेस्पोडेन्टान सं. 1 लगायत 3 तहसीलदार, हल्का पटवारी व कानूनगो दर्ज तथा स्वीकार कर वर्णित आराजी की जमाबन्दी में अमल दरामद कर दिया। वक्त खरीद से ही अपीलान्टान सं. 1 व 2 तथा अपीलान्ट सं. 3 तथा तरतीबी रेस्पोडेन्टान सं. 12 लगायत 18 की माता मौजबी पत्नी श्री कल्लु आराजी पर अपने 1/3, 1/3, 1/3 भाग की भूमि पर काबिज व दाखिल होकर काश्त करते रहे है। इसके बाद बेचानकर्ता ईसब का देहान्त हो गया और उसके पुत्र असल रेस्पोडेन्ट सं. 6 जुहरदीन ने सारे तथ्यो की जानकारी होते हुए बेईमानीपूर्वक आशय से वर्णित आराजी के इन्तकाल सं. 1972 की बाबत एक रिव्यु प्रार्थना पत्र असल रेस्पोडेन्ट सं. 1 तहसीलदार के समक्ष पेश कर दिया। जिस पर ततकालीन नायब तहसीलदार, टपूकडा द्वारा इन्तकाल सं 1972 की पुस्त पर दिनांक 15.06.2018 को यह अंकन किया कि " उनवान प्रकरण सरफू वगैहरा पुत्रान ईसब जाति मेव निवासी गुवालदा बनाम सरकार में रिव्यु प्रा० पत्र. के निर्णय दिनांक 15.06.2018 के नामांतकरण सं. 1972 अपास्त किया जाता है एवं नामा. अन्तर्गत धारा 135 (2) भूराजस्व अधिनियम के तहत सुनवाई प्रकिया में रखा जाता है" के अनुसार इन्तकाल सं. 1972 को अपास्त कर दिया गया। अन्तर्गत धारा 135 (2) भू–राजस्व अधिनियम के अनुसार इन्तकाल सं. 1972 का निर्णय होना था। दिनांक 27.09. 2023 को असल रेस्पोडेन्ट सं. 1 तहसीलदार के द्वारा अन्तर्गत धारा 135 (2) भू राजस्व अधिनियम की विचाराधीन कार्यवाही में निर्णय पारित करते हुये अन्तर्गत धारा 135 (2) भू राजस्व अधिनियम की प्रक्रिया कार्यवाही को ड्रोप कर दिया। अन्तर्गत धारा 135 (2) भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही ड्रोप

करने के बाद इन्तकाल सं. 1972 स्वतः ही हम अपीलान्टान सं. 2 व 3 तथा मौजबी पत्नी कल्लु के नाम का अमल आना चाहिये था परन्तु असल रेस्पोडेन्टान सं. 1 लगायत 3 ने ईसब के वारिसान असल रेस्पोडेन्टान सं. 4 लगायत 11 से साज बाज होकर बेजा कार्यवाही करते हुए मृतक ईसब का विरासत इन्तकाल सं. 4139 को दिनांक 17.11.2023 को दर्ज कर इन्तकाल सं. 4139 को प्रक्रियाधीन रख दिया। जिसकी बाबत ना तो असल रेस्पोडेन्टान सं. 1 लगायत 3 ने ना तो हम अपीलान्टान को कोई सूचना दी और ना ही पैरवी करने का अवसर दिया, ना ही गांव में कोई इश्तहार लगाये व ना ही कोई नोटिस जारी किये। असल रेस्पोडेन्टान सं. 1 लगायत 3 ने विधि विरूद्ध तरीके से मृतक ईसब का विरासत इन्तकाल सं. 4139 को दिनांक 17.11.2023 को दर्ज कर इन्तकाल सं. 4139 को प्रक्रियाधीन रखा है। जो हम अपीलान्टान व तरतीबी रेस्पोडेन्टान के हितो पर कुठाराघात होता है, जो हरसूरत में उक्त बेजा कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है। इन्तकाल सं. 1972 को यथावत रखा जाना उचित एवं आवश्यक है। प्रकरण के महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आराजी खसरा नं. 2122 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम गवाल्दा पूर्व तहसील तिजारा हाल तहसील टपूकडा के खातेदार ईसब पुत्र श्री निवाज खा जाति मेव निवासी ग्राम ग्वालदा ने शेरू पुत्र लहरू जाति मेव निवासी ग्राम ग्वालदा के पक्ष में ईकरारनामा दिनांक 20.03.2006 को प्रतिफल रकम प्राप्त कर बाकब्जा आराजी का बेचान कर दिया था और जिस ईकरारनामा पर विक्रेता ईसब ने अपने निशानी अगूंठा किये थे। विवाद हो जाने पर पुलिस द्वारा गहनता से अनुसंधान किया गया और दौराने अनुसंधान व विधि विज्ञान प्रयोगशाला से अगूंठे निशानी के नमूनो की जॉच में ईकरारनामा पर विक्रेता ईसब के अगूंठा निशानी सही होना पाये गये। जिससे साफ जाहिर होता कि वर्णित आराजी से बाद बेचान ईसब व उसके वारिसान का कोई लेना देना नहीं है। वर्णित आराजी अपीलान्टान व तरतीबी रेस्पोडेन्टान की है। हम अपीलान्टान इन्तकाल सं. 1972 में वर्णित आराजी पर काबिज व दाखिल चले आ रहे है तथा मौके पर हम अपीलान्टान का वास्तविक कब्जा है। अपीलान्टान का केस पूरी तरह प्रथम दृष्टया अपीलान्टान के पक्ष में आयद व साबित है। जब राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल सं. 1972 दर्ज व मन्जूर होकर राजस्व अमल हम अपीलान्टान के नाम आ गया था तो उसके बाद इन्तकाल सं. 1972 की रिव्यु प्रार्थना पत्र असल रेस्पोडेन्टान द्वारा मातहत अदालत ततकालीन नायब तहसीलदार टपूकडा के यहां प्रस्तुत किया और ततकालीन नायब तहसीलदार द्वारा प्रथम दृष्टया इन्तकाल सं. 1972 को अपास्त कर 135 (2) की कार्यवाही में रख लिया और 135 (2) भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही में जाँच कर ततकालीन नायब तहसीलदार टपूकडा ने निर्णय पारित करते हुए हम अपीलान्टान के खिलाफ 135 (2) भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही ड्रोप कर दी। जैसे ही कार्यवाही ड्रोप की जाती है तो स्वतः ही इन्तकाल सं. 1972 अमल में आ जाता है लेकिन राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने जानबूझकर इन्तकाल सं. 1972 का अमल राजस्व रिकार्ड में ना कर बेजा कार्यवाही ईसब के वारिसान का विरासत इन्तकाल सं. 4139 दर्ज करने की, की है। जिससे व्यथित होकर हम अपीलान्टान ने अपने हकूको की रक्षार्थ यह अपील हाजा न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश की है। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि हम अपीलान्टान की अपील में वर्णित इन्तकाल सं. 4139 की बेजा कार्यवाही को निरस्त कर इन्तकाल सं. 1972 को यथावत रखा जाकर हम अपीलान्टान इन्तकाल सं. 1972 में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार का अमल दरामद कराने के अधिकारी है। आपकी अति कृपा होगी।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस में निवेदन किया कि तहत न्यायाल द्वारा नामान्तकरण संख्या 4139 विधिवत दर्ज किया गया है। साथ ही विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने निवेदन किया कि मुख्तयार नामा फर्जी है। जिसकी एफआईआर दर्ज करायी गयी है जिसका दावा सिविल कोर्ट में पेश है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज करने हेतु निवेदन किया।

हमने संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। सर्व प्रथम मियाद अधिनियम की धारा 5 पर विवेचन करना उचित समझते हैं। अपीलान्ट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में देरी होने का कारण दर्शित किया है। अतः प्रार्थना पत्र पर नर्मी का रूख अपनाते हुए मियाद प्रार्थना पत्र दफा 5 स्वीकार किया जाता है। तथा आदेश दिनांक से अपील दायर दिनांक तक कि अवधी को कन्डोन किया जाकर अपील मियाद शुमार कि जाती है।

जहां तक प्रश्न अपील के गुणावगुण का है इस विषय में मेरा मत है कि अपीलान्टान सं. 1 व 2 तथा अपीलान्ट सं. 3 तथा तरतीबी रेस्पोडेन्टान सं. 12 लगायत 18 की माता मौजबी पत्नी श्री कल्लु ने समभाग बराबर बराबर पक्ष में समस्त बाप्रतिफल अदा कर तथा मौके पर कब्जे का विवरण अंकित करते हुए पंजीबद्ध कराया है। जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 1972 दिनांक 17.05.2018 को बाद पटवारी हल्का एवं आईएलआर जांच रिपोर्ट नायब तहसीलदार टपूकडा के द्वारा स्वीकृत किया गया है। जिसे बाद में नायब तहसीलदार टपूकडा के द्वारा दिनांक 15.06.2018 को उनवान प्ररकण सरफू वगै0 पुत्रान ईसब जाति मेव निवासी गुवाल्दा बनाम सरकार में रिव्यु करते हुए यह नोट अंकित किया गया कि नामान्तकरण अपास्त किया जाता है एवं नामान्तकरण अन्तर्गत धारा 135(2) भू–राजस्व अधिनियम के तहत सुनवाई प्रक्रिया में रखा जाता है। उसके उपरान्त तहसीलदार टपूकडा के निर्णय दिनांक 27.09.2023 द्वारा प्रकरण सं0 43/22 को इस आदेश के तहत निस्तारित किया कि इन्तकाल संख्या 1972 वाके ग्राम गवालदा के संबंध में यह विचाराधीन कार्यवाही अन्तर्गत धारा 135(2) भू–राजस्व अधिनियम ड्रोप की जाती है।

चूंकि नामान्तकरण संख्या 1972 का निस्तारणधारा 135(2) भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत नही किया जाकर केवल प्रकरण संख्या 43/22 अन्तर्गत धारा 135(2) ड्राप किया गया है। अतः कार्यवाही से पूर्व की राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति बहाल की जानी चाहिए थी। किन्तु तहसीलदार टपूकडा के द्वारा कानूनी भूल करते हुए उसके उपरान्त दिनांक 17.11.2023 को विरासत इंतकाल 4139 रेस्पोडेन्टान संख्या 4 लगायक 11 के नाम दर्ज कर दिया गया। जिसे निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार टपूकडा द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 4139 दिनांक 17.11.2023 वाके ग्राम गुवाल्दा तहसील टपूकडा को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार टपूकडा को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में 17.11.2023 की ताईद में आये हुये अमल को पूर्व में दर्ज इंतकाल सं. 1972 वाके ग्राम गुवाल्दा की स्थिति में कायम किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील व तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22/12/25 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमित्रा मिश्र आर.ए.एस)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भिवाडी,खैरथल–तिजारा।